XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक आर.4574–एक / 13

जिला–बालाघाट

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–7–15	प्रकरण का अवलोकन किया । इस प्रकरण में दिनांक 19–8–14 के बाद से आवेदक की ओर से कई बार सूचना देने के बाद भी कोई उप. नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं हैं । अतः आवेदक की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

R 4574-I/13

परिषद

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

रा.पु.क्र. /2012

जनक मराठे पिता श्री सरजूप्रसाद मराठे
आयु लगभग 44 वर्ष निवासी वार्ड नं. 04 बैहर रोड
बालाघाट तह. व जिला बालाघाट (म.प्र.) ....पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

बनाम

गिरीश कुमार उर्फ राजा दुबे पिता स्वं. श्री भुवनप्रसाद दुबे
आयु लगभग 50 वर्षवार्ड नं. 16 सांई मंदिर गली बालाघाट
तह. व जिला बालाघाट (म.प्र.) ....उत्तरवादी/अनावेदक

श्री प्रेम सिंह गुर्जर एड. द्वारा आज दि. 30/12/13 को प्रस्तुत
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रा.पु.अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरूद्ध आदेश व निर्णय पारित द्वारा नजूल अधिकारी बालाघाट दिनांक 11/12/2012 सहपठित आदेश दिनांक 30/10/2012 रा.प्र.क्र. 152 अ-6/वर्ष 11-12 मौजा बालाघाट प्रकरण जनक मराठे विरूद्ध गिरीश दुबे, जिसके द्वारा नामांतरण कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, से क्षुब्ध व परिवेदित होकर निम्न तथ्यों व आधारों पर प्रेषित किया जाता है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता दिनांक 16/07/2012 को प्रकरण में विवादित भूमि व मकान को उनकी विधिक मालिको से कसीद रकम देकर खरीदा और दस्तावेज वैमाना के आधार पर नजूल अधिकारी के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।

2. यह कि उक्त नामांतरण कार्यवाही में नामांतरण आवेदन के विरूद्ध उत्तरवादी ने एक आपत्ति पेश की और यह कहा कि वह उसका मालिक है. पुनः यह भी कहा कि खरीदशुदा सम्मत्ति में उसका 1/5 भाग हिस्सा है।

3. यह कि इसी दौरान उत्तरवादी ने एक व्यवहारवाद व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिसमें एक आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य.प्र.सं. के तहत् पेश कर यह निवेदन किया कि पुनरीक्षणकर्ता व अन्य खरीददारों को प्रकरण के निराकरण तक उसे विवादित मकान से वेदखल करने से रोक दिया जाये। वास्तव में उत्तरवादी विवादित मकान के कुछ हिस्से पर व मकान के शेष हिस्से पर उसका भाई हरीशचन्द्र दुबे बतौर